

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 218/2016

बउनवान

रामलाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति—धोबी निवासी—इकलेरा  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 23.04.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के दिनांक 06.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसी ग्राम—इकलेरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 0.60 हैक्टर कस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 300/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में द्वितीय अतिचार बाबत कोई साक्ष्य नहीं होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.4.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनने हेतु अभिभाषक को रूक—रूक पर कई बार आवाज दिलायी गयी। इसके बावजूद अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु अनुपस्थित रहे हैं। तत्पश्चात् प्रकरण में गुणावगुण पर बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान परोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 812/13 निर्णय

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

दिनांक 05.04.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है। इसके 0.60 है० रकबे पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 812/13 निर्णय दिनांक 5.4.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 327/15 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



*See*  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)